—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 23/2020

उनवान

उगमा पुत्र लादू जाति जाट निवासी ग्राम मावशिया तहसील नसीराबाद

——वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र सांवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम मावशिया तहसील नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :— 1 अनुपरिथत, 2 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 1.10.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मावशिया के हाल खसरा नम्बंर 1413 रकबा 0.24 की आराजी राजस्व अभिलेख में वादी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी पर वादी कदीम से फसल काश्त कर अपने परिवार का पालना पोषण करता आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी पर पिछले 2 वर्षो से गिरवी के रूप में काश्त का रहा है। वादी ने भूमि गिरवी मुक्त करने हेतु दिनांक 15.06.19 को निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने आश्वासन दिया कि 1 माह में भूमि मुक्त कर देगे। इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी मुतनाजा पर जबरदस्ती फसल काश्त कर दी। साथ ही भूमि मुक्त करने से साफ इंकार कर दिया। वादी की खातेदार आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 जबरन कब्जा का हमेशा के लिये बेदखल करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहा। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश कना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादी की एकल खातेदारी की है। उक्त आराजी पर ...दी

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:29 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 का कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहा है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। प्रतिवादी का कब्जा आराजी मुतनाजा पर विधिवत नही है। उसके द्वारा वादी की खातेदारी आराजी पर किया गया कब्जा गैर कानूनी व अतिकमी के रूप में है। वाद में अंकित तथ्यों का कोई खण्डन पत्रावली पर नही है। वादी के कथन अखण्डनीय होने से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादी आराजी मुतनाजा से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम मावशिया के हाल खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.24 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाने की कार्यवाही करावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

उगमा बनाम महेन्द्र

दावा बाबत :– 88, 188, 183 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 23/2020
पेश करने की दिनांक – 04.03.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मावशिया के हाल खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.24 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाने की कार्यवाही करावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 1 माह 10 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद